

193/c

**JUSTICE S.N. AGGARWAL COMMISSION OF INQUIRY**  
**(Set up under Section-3 of the Commissions of Inquiry Act,1952)**  
**In Relation to CNG Fitness Certificate(s) in Tpt. Deptt. Govt. of NCT of Delhi**  
First Floor, 'E' Wing, 'C' Block, Vikas Bhawan-2 Upper Bela Road,  
Civil Lines, Delhi, Tel. No.011-23815363

No.F1(2)/2015/JSNACOI/ 43

Dated :

**PUBLIC NOTICE**

Whereas the Govt. of NCT of Delhi vide notification dated 11.08.2015 has constituted an independent Commission of Inquiry under the Commission of Inquiry Act, 1952 for enquiring into all aspect of the award of work related to CNG Fitness Certificate(s) in the Transport Department, Govt. of NCT of Delhi and subsequent investigations and development in the case.

And whereas the Govt. of NCT of Delhi vide notification No.F.5/DOV/TPT/4/7/2015/9386-9393 dated 11.08.2015 issued by the Directorate of Vigilance, Vigilance Department, Govt. of National Capital Territory of Delhi has appointed Justice S.N. Aggarwal, Former Judge, Delhi & Madhya Pradesh High Court as one member Commission of Inquiry with the following terms of reference:

- (i) To look into all aspects of the award of contract by the Transport Department, Govt. of NCT of Delhi for inspection and certification of commercial Vehicles for fitness to M/s ESP India Pvt. Ltd, and to point out irregularities, if any.
- (ii) To identify the persons responsible for the irregularities identified.
- (iii) To look into the circumstances surrounding denial of prosecution sanction against persons responsible for the irregularities, if it is now found that the case for prosecution is actually made out against them.
- (iv) To recommend action against the persons responsible for these irregularities, if any, and to suggest future course of action in this case.

- (v) To suggest remedial action at institutional level to avoid such irregularities, if any, in future.
- (vi) To suggest measures for recovery of amount illegally accrued by the vendor by way of this contract, if any.
- (vii) Any other matter that may be referred to the Commission.

Having regard to the nature of inquiry to be made by the Commission and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section-2, sub-section-3, sub-section-4, sub-section-5 and sub-section-5 A of section-5 of the said Commissions of Inquiry Act,1952 shall be applicable to the Commission, and the Govt. of NCT of Delhi in exercise of the powers conferred under sub-section-1 of section-5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 hereby directs that all provisions of the sub-sections-2,3,4,5 and 5A of that section shall apply to the Commission.

Now, through this notice the Commission of Inquiry so appointed hereby invite all persons acquainted with, affected from, concerned with and such other public organizations having social agenda in respect of the matter of inquiry to furnish to the Commissions statement relating to the above terms of reference. Such statement should be in the form of an affidavit in respect of the facts set out in the statement. All affidavits thus made in response hereto shall be treated as confidential documents unless otherwise directed by the Commission. The affidavits should be sworn before a First Class Magistrate or Notary Public or Oath Commissioner or any other authority legally empowered to administer oath. Further, person furnishing a statement shall also furnish to the Commission along with the statement a list of documents, if any, on which he or she proposes to rely and forward to the Commission, wherever practicable, the originals or true copies of such of the documents as may be in his possession or control and shall state the name and address of the person from whom the remaining documents may be obtained.


For the purpose of public knowledge it is made clear that as per Section-4 of the Commissions of Inquiry Act, 1952, the Commission is deemed to be a Civil Court and has all the powers which a Civil Court has while trying a suit under the

Code of Civil Procedure, 1908 for the purpose of summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath; requiring the discovery and production of any document; receiving evidence on affidavits; requisitioning any public record or copy thereof from any Court or office; issuing commissions for the examination of witnesses or documents; any other matter which may be prescribed.

It is further made clear that any proceeding before the Commission shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of Section 176 and 177 of the Indian Penal Code, 1860. Please also note that no statement made by a person in the course of giving evidence before the Commission shall subject him to, or be used against him in any civil or criminal proceedings except a prosecution for giving false evidence by such statement; provided that the statement is made in reply to a question which he is required by the Commission to answer, or is relevant to the subject matter of the inquiry.

The statement affidavits along with the documents shall be sent to the Secretary to the Commission of Inquiry, 1<sup>st</sup> Floor, 'C' Block, E-Wing, Vikas Bhawan-2, Upper Bela Road, Delhi-110054 or personally handed over to the Secretary or such other officer authorized by the Commission in that behalf by **31/10/2015**.

Issued under the Orders of the  
Commission of Inquiry



(JITENDER KUMAR)

Secretary to the Commission

(जाँच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के अधीन गठित)  
परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सी0एन0जी0 फिटनेस  
प्रमाण-पत्र के संबंध में  
न्यायाधीश एस.एन.अग्रवाल जाँच आयोग  
प्रथम तल, "ई"- विंग, सी-ब्लॉक, विकास भवन-2, अपर बेला रोड़,  
सिविल लाईन, दिल्ली, दूरभाष संख्या: 011-23815363.

सं0फा0 01 (2)/2015/जेएसएनएसीओआई/

दिनांक:

### सार्वजनिक सूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 11.08.2015 की अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग में सी0एन0सी0 फिटनेस प्रमाण पत्र से संबंधित कार्य को प्रदान करने से संबंधित सभी पहलुओं की जाँच तथा मामलों में उत्तरवर्ती जाँच एवं विकास के लिए जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत जाँच हेतु एक स्वतंत्र जाँच आयोग गठित किया था।

और जबकि सतर्कता निदेशालय, सतर्कता विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिनांक 11.8.2015 की अधिसूचना सं0फा0 5/डीओवी/टीपीटी/4/7/2015/9386-9393 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस0एन0 अग्रवाल को निम्न विचारार्थ विषय के लिये एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया था:-

- (i) मैसर्स ईएसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को फिटनेस के लिए वाणिज्य वाहनों के निरीक्षण एवं प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा संविदा प्रदान करने के सभी पहलुओं को देखने और यदि कोई अनियमितताएं हो तो उन्हें चिह्नित करना।
- (ii) चिह्नित की गई अनियमितताओं के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों की पहचान करना।
- (iii) अनियमितताओं के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध स्वीकृत अभियोजन के इनकार करने की परिस्थितियों को देखना, यदि यह अभी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध वास्तव में अभियोजन के लिए मामला बनाया जाए।

- (iv) याद काइ आनयामतता ह ता इसक लिए जम्मवार व्याक्तया क विरुद्ध कारवाइ की सिफारिश करना तथा मामले में भविष्य की कार्रवाई हेतु सुझाव देना।
- (v) यदि भविष्य में ऐसी कोई अनियमितता होती है तो संस्थागत स्तर पर इसे रोकने हेतु उपचारी कार्रवाई के सुझाव देना।
- (vi) इस संविदा के माध्यम से विक्रेता द्वारा अवैध रूप से प्राप्त की गई राशि की वसूली हेतु उपाय सुझाना, यदि कोई हो तो।
- (vii) अन्य कोई मामला जो आयोग को सौंपा जा सकता है।

आयोग तथा मामले की अन्य परिस्थितियों द्वारा की गई जांच की प्रकृति के संबंध में उक्त जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-5 की उपधारा-2, उपधारा-3, उपधारा-4, उपधारा-5 तथा उपधारा-5क के सभी प्रावधान आयोग पर लागू होंगे और जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-5 की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उस धारा की उपधारा-2, 3, 4, 5 तथा 5क के सभी प्रावधान आयोग पर लागू होंगे।

अब, इस सूचना के माध्यम से नियुक्त जांच आयोग एतद्वारा जांच के मामले के संबंध में परिचित, प्रभावित संबंधित सभी व्यक्तियों तथा अन्य सार्वजनिक संगठनों जिनका सामाजिक दायरा हो, उपरोक्त विचारार्थ विषय से संबंधित विवरण आयोग को प्रस्तुत कर सकेगा। विवरण में निर्धारित तथ्यों के संबंध में शपथ पत्र के रूप में ऐसा विवरण होगा। उपरोक्त के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किए गए सभी शपथ पत्रों के साथ गोपनीय दस्तावेजों के रूप में समझा जाएगा, बशर्ते इस संबंध में आयोग द्वारा अन्यथा निर्देश न दिए गए हों। शपथ पत्र की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या ओथ कमीशनर या शपथ दिलाने के लिये विधिसम्मत सशक्त अन्य प्राधिकरण के समक्ष शपथ ली जायेगी। इसके अलावा, विवरण प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति दस्तावेजों की सूची के विवरण के साथ आयोग को विवरण भी प्रस्तुत करेगा, यदि कोई हो तो, जिस पर वह विश्वास का प्रस्ताव करेगा और आयोग को अग्रेषित करेगा, जहां व्यवहारिक होगा, ऐसे दस्तावेजों की मूल या असली प्रतियां जोकि उसके कब्जे या नियंत्रण में हैं और ऐसे व्यक्ति का नाम एवं पते का उल्लेख करेगा जिससे शेष दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते हैं।

जनता की जानकारी के उद्देश्य के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 4 के अनुसार, आयोग को सिविल अदालत माना जाएगा और उसे वह शक्तियां प्राप्त होंगी जोकि सिविल अदालत की हैं जब किसी को सम्मन के उद्देश्य के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत मुकदमें का प्रयास हो और किसी व्यक्ति की बलपूर्वक उपस्थिति तथा शपथ पर उसकी जांच; खोज की आवश्यकता तथा किसी दस्तावेज की व्युत्पत्ति; हलफनामा पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी सार्वजनिक रिकार्ड की मांग या किसी न्यायालय या कार्यालय से उसकी प्रति की मांग, गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना, अन्य कोई मामला जो निर्धारित हो।

इसके अलावा यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के समक्ष किसी भी कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 176 एवं 177 के अर्थ के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा। कृपया यह भी नोट करें कि आयोग के समक्ष गवाही के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई बयान किसी दीवानी या फौजदारी कार्यवाही में उसके अधीन या उसके विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा। बशर्ते कि ऐसे बयान द्वारा गलत गवाही देने के अभियोग को छोड़कर, बशर्ते कि बयान किसी आयोग के किसी प्रश्न के उत्तर में दिया गया है, जिस प्रश्न का उत्तर आयोग द्वारा उससे मांगा गया है या जांच के किसी बयान की विषयवस्तु से संबंधित है।

दस्तावेजों के साथ शपथ पत्र का विवरण सचिव, जांच आयोग को प्रथम तल, सी-ब्लाक, ई-विंग, विकास भवन-2, अपर बेला रोड़, दिल्ली-54 को भेजा जाए या सचिव को या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को दिनांक 31.10.2015 से पूर्व व्यक्तिगत रूप से सौंपे जाएं।

जांच आयोग के आदेश  
से जारी

(जितेन्द्र कुमार)  
सचिव-आयोग